GST No. : 08AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

RAJFED

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांकःफा.01/ई–निविदा/लेखा/2025–2026/ 6777-6882 दिनांकः 06.03.2025

निविदा की अतिरिक्त शर्तें

URGENT

उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
समस्त।

विषयः–वर्ष 2025–2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं के संबंध में।

प्रसंगः–राजफेड के पूर्व पत्रांकः 6196–6295 दिनांक 10.02.2025 व पत्रांकः 6544–6642 दिनांक 04.03.2025 के क्रम में व पत्रांकः 6668–6774 दिनांक 05.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में वर्ष 2025–2026 के दोनों सीजन (रबी व खरीफ) में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन निविदाओं में पूर्व जारी दिशा–निर्देशों व निविदा प्रपत्र में नयी शर्ते का समायोजित किया जाना है। जो कि निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं	अतिरिक्त शर्तें
1.	समस्त जिलों में परिवहन कार्य जी.पी.एस. युक्त वाहनों से किया जायेगा। निविदादाता परिवहनकर्ता को अपने स्थायी वाहनों की सूची निविदा फार्म के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
2.	जहाँ ट्रक यूनियन हैं, वहाँ भी संबंधित निविदादाता द्वारा ट्रकों में जी.पी.एस. डिवाईस लगवाना अनिवार्य होगा। जीपीएस डिवाईस राजफैड द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
3.	परिवहनकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाहन के ड्राईवर व हेल्पर के मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराने होगें, साथ ही जी.पी.एस. मोनिट्रिरिंग टीम के साथ परिवहनकर्ता एवं वाहन पर कार्यरत व्यक्तियों को समन्वय स्थापित करना अनिवार्य होगा।

संशोधित शर्तें :–

क्र.सं	संशोधित शर्तें में जोड़ना
1.	**बोली की अन्य शर्तें : 11 में** पूर्व में ब्लेकलिस्टेड/प्रतिबंधित फर्म एवं उसके स्वामी/पार्टनर नये नाम की फर्म/कम्पनी बनाकर भी निविदा में शामिल नहीं हो सकेंगी।
2.	**संशोधित शर्तें के पूर्व पत्रांकः 6668–6774 दिनांक 05.03.2025 के बिन्दु संख्याः 4 में जोड़ा जावें :–** निविदादाता क्रय–विक्रय सहकारी समिति(सोसायटी) होने पर कार्यादेश की राशि का 20 प्रतिशत बैंक गारंटी संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड के पक्ष में संबंधित उपापन संस्था/उपापन इकाई (Procurement Entity) को जमा करानी होगी, जिसे कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित करने पर लौटा दी जायेगी।
3.	**संशोधित शर्तें के पूर्व पत्रांकः 6668–6774 दिनांक 05.03.2025 के बिन्दु संख्याः 5 में जोड़ा जावें :–** किंतु राजफैड द्वारा की जाने वाली समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद का पूर्व में तीन वर्षों का अनुभव रखने वाली फर्म/कम्पनी को क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड के प्रमाण–पत्र के आधार पर कार्यादेश की राशि का 20 प्रतिशत बैंक गारंटी संबंधित उपापन संस्था/उपापन इकाई (Procurement Entity) को जमा करानी होगी, जिसे कार्य संतोषजनक रूप से सम्पादित करने पर लौटा दी जायेगी। **(बोली की अन्य शर्ते संख्याः 25 में जोड़ा जाये)**

भवदीय,

(टीकम चन्द बोहरा)
प्रबन्ध निदेशक,राजफैड

AAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

प्रतिलिपिः-

1- निजी सचिव,माननीय सहकारिता मंत्री महोदय,राजस्थान-सरकार।
2- निजी सचिव,प्रशासक राजफेड व मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान-जयपुर।
3- निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव व रजिस्ट्रार महोदया,सहकारिता विभाग,जयपुर।
4- निजी सचिव,जिला कलक्टर,समस्त।
5- निजी सचिव,प्रबन्ध संचालक,राजफैड,जयपुर।
6- अतिरिक्त रजिस्ट्रार,सहकारी समितियॉ,समस्त।
7- महाप्रबन्धक(वित्तीय सलाहकार/वाणिज्य/कृषि आदान/मा.स.वि.)राजफेड-जयपुर।
8- राज्य प्रमुख,नेफैड,जयपुर।
9- क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड-समस्त।

प्रबन्ध निदेशक,राजफैड